आधुनिक कृषि यंत्रों संग समृद्ध अन्नदाता

उत्तर प्रदेश में अनुदान पर कृषि यंत्रों के विक्रय हेतु इच्छुक निर्माता कम्पनियों के पंजीकरण एवं इम्पैनलमेंट प्रक्रिया दिनांक 29.05.2026 से upyantratracking.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरम्भ की जायेगी

- सभी कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को कृषि विभाग द्वारा विकसित upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना, समस्त विवरण भरना एवं आवश्यक अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत इम्पैनलमेंट प्रक्रिया ऑनलाइन upyantratracking.in पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
- रु 10,000/– से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर उभरा हुआ या लेजर कट (Embossed)/Laser Cutting) सीरियल नं. का लेटर साइज (Arial Bold) 25 mm में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- सभी कृषि यंत्र निर्माता कम्पनियों को यंत्रवार अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी., जी.एस.टी. सहित) अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही, सभी अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अपने शोरूम के पटल/पोर्टल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र की प्रति upyantratracking.in पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।
- कृषि यंत्र की टेस्टिंग रिपोर्ट निर्माता कम्पनी के नाम से होने तथा कम्पनी द्वारा स्वनिर्मित कृषि यंत्र को ही इम्पैनलमेंट में सम्मिलित किया जायेगा।
- यंत्र निर्माता कम्पनी को बैंक गारंटी कृषि निदेशक, उ.प्र., कृषि भवन, लखनऊ (Director Agriculture, U.P. Krishi Bhawan, Lucknow) के नाम से होगी। बैंक गारंटी की पी.डी.एफ. upyantratracking.in पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा बैंक गारंटी की मूल कॉपी संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण अनुभाग, कृषि भवन, लखनऊ को प्रेषित करनी होगी।

कृषि यंत्रों के इम्पैनलमेंट हेतु बैंक गारंटी के लिए निर्धारित मापदण्ड

क्र.सं.	कृषि यंत्र का अधिकतम विक्रय मूल्य (रुपये लाख में)	प्रति यंत्र/प्रति मॉडल हेतु बैंक गारंटी (रुपये लाख में)	चार या चार से अधिक यंत्रों हेतु बैंक गारंटी (रुपये लाख में)
1.	रु. 3.00 लाख तक	रु. 1.00 लाख	रु. 4.00 लाख
2.	रु. 3.00 लाख से रु.10.00 लाख तक	रु. 2.00 लाख	रु. 8.00 लाख
3.	रु. 10.00 लाख से अधिक	रु. 3.00 लाख	रु. 12.00 लाख

बैंक गारंटी की समय सीमा अभिलेख प्रस्तुत करने के समय से न्यूनतम एक वर्ष के लिए ही मान्य होगी तथा बैंक गारंटी को दावा अवधि के पश्चात ही वापस किया जायेगा।

इम्पैनलमेंट संबंधित विस्तृत जानकारी upyantratracking.in पोर्टल पर उपलब्ध है

[कोई भी समस्या आने पर ई–मेल upyantratracking@gmail.com, हेल्पलाइन नं. 7839882158 पर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 तक सम्पर्क कर सकते हैं।]

सूर्य प्रताप शाही
मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश

किसान कल्याण मिशन
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

बलदेव सिंह औलख
राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश